UPMP010022792026

न्यायालय Adj V, Mainpuri

पीठासीन अधिकारी- (SWAPAN DEEP SINGHAL), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP02717**

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 791/2026

कन्हैया उर्फ कृष्णा पुत्र बाबू लाल निवासी नगरिया चैन थाना सासनी कोतवाली जिला हाथरस।

.... प्रार्थी/ अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .... विपक्षी

अपराध संख्या-20/2026
धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट
थाना बिछवां, जिला मैनपुरी।

दिनांकः -15.06.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त कन्हैया उर्फ कृष्णा की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 20/2026 अंतर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिछवां जिला मैनपुरी के अभियोग में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि गैंगलीडर मोहित उर्फ मोनू पुत्र कुवरजीलाल निवासी टीचर कालोनी गली न0 4 सासनी थाना सासनी जिला हाथरस उम्र करीब 33 वर्ष ने अपने गिरोह के सह अभियुक्त सदस्य 1. टीकम सिंह उर्फ भोला नागर पुत्र मदनपाल सिंह निवासी डोरी नगर थाना गांधी पार्क जनपद अलीगढ उम्र करीब 27 वर्ष 2. विनोद पुत्र महेन्द्र निवासी मुडिया खेरा थाना गंगीरी जिला अलीगढ उम्र करीब 48 वर्ष 3. कन्हैया उर्फ कृष्णा पुत्र बाबूलाल निवासी नगरिया चैन थाना सासनी जिला हाथरस उम्र करीब 38 वर्ष के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह बनाकर व्यवसाय के रूप में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने जैसे जघन्य अपराध कारित कर अनुचित धनोपार्जन करने के अभ्यस्त अपराधी है। दिनांक 19.09.2025 को थानाध्यक्ष बिछवां मय पर्याप्त पुलिस फोर्स के चैकिंग के दौरान माही फैमिली ढाबा से आगे खडी गाडी टिगोर व ट्रक को चेक किया तो गाडी टिगोर मे दो व्यक्ति तथा दो व्यक्ति ट्रक में बैठे होना पाया गया। टिगोर गाडी में बैठे व्यक्तियों में से चालक वाली सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछने पर मोहित उर्फ मोनू पुत्र कुवरजीलाल निवासी टीचर कालोनी गली न0 4 सासनी धाना सासनी जिला हाथरस बताया तथा ड्राइवर की साइड वाली सीट पर बैठे दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम टीकम सिंह उर्फ भोला नागर पुत्र मदनपाल सिंह निवासी डोरी नगर थाना गांधी पार्क जनपद अलीगढ बताया। जिनसे गाडी चेक कराने को कहा तो दोनों व्यक्ति घबरा गये, मांफी मांगते हुए बताया कि हम झूठ नहीं बालेंगे हमारे पास गाडी की डिग्गी में रखी दो पन्नियों में नशीला पदार्थ गांजा है। डर के कारण कि गाडी पकडी ना जाये नम्बर प्लेट UP 81 DA 4730 को हमने उतारकर डिग्गी मे रख दिया था जिसे आप चेक कर सकते है तथा हमारे दो साथी ट्रक में हैं उनके पास भी गाँजा है। पास खड़े ट्रक के पास जाकर ट्रक में बैठे व्यक्तियों को उतारकर चालक की सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम पूछने पर उसने अपना नाम विनोद पुत्र महेन्द्र निवासी मुडिया बेरा थाना गंगीरी जिला अलीगढ बताया तथा कन्डेक्टर साइड वाली सीट पर बैठे दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम कन्हैया उर्फ कृष्णा पुत्र बाबूलाल निवासी नगरिया चैन

थाना सासनी जिला हाथरस बताया। पूछताछ पर बताया कि हम उडीसा राज्य से 07 पैकेट (पॉलिथिन) गाँजे के लाये थे। हम अपने साथी मोहित उर्फ मोनू व टीकम उर्फ भोला नागर के साथ मिलकर गाँजा बेचने का काम करते हैं और कमाये हुये रुपयों से अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। आज हमने अपने साथियो को गाडी टिगोर से जनपद मैनपुरी में करहल में बुला लिया था और 02 पैकेट टीकम सिंह उर्फ भोला नागर व मोहित उर्फ मोनू के मांगने पर उन्हे बेचने के लिए 02 पैकेट गाँजा दे दिया था जिसे उन्होंने गाडी की डिग्गी में रख लिया था। हमारे ट्रक के कैबिन में भी बचे 5 पैकेट (पोलिथीन मे) गाँजा रखा है जिसे हम अपने उन्हीं साथियों के साथ अलीगढ व दिल्ली लेकर जा रहे है जहाँ ये गाँजा अच्छी कीमत में बिक जाता है। यहां पर हम लोग फ्रेश होने के लिये रुके थे। चारों व्यक्तियों को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों से विधिवत अवगत कराते हुए स्वयं व अन्य पुलिस कर्मियों से पालन कराते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति टिगोर गाडी के चालक मोहित उपरोक्त की जामा तलाशी से पहने पेन्ट की बांयी जेब से 1100 रूपये बरामद हुए तथा एक अदद मोबाइल OPPO-A17 रंग नीला बरामद हुआ जिसका IMEI न० 864690064906111-03 अंकित है बरामद हुआ। दूसरे व्यक्ति टीकम सिंह उर्फ भोला नागर उपरोक्त से पहने पेन्ट की दाहिनी जेब से 740 रूपये बरामद हुए व एक अदद मोबाइल रंग नीला रीयल मी जिसका IMEI न० 8687 34048992957-40 अंकित है बरामद हुआ। तीसरे व्यक्ति ट्रक का चालक विनोद उपरोक्त की जामा तलाशी से पेन्ट की बाँयी जेब से 1020 रूपये व दाहिनी जेब से दो अदद मोबाइल फोन कमशः कीपेड मोबाइल HERO कम्पनी जिसका IMEI न० 354242004 070991-71007 दूसरा मोबाइल फोन कम्पनी OPPO IMEI न० 86665 8074529791-783 रंग सफेद जिस पर कवर चडा बरामद हुए। चौथा व्यक्ति ट्रक का परिचालक कन्हैया उर्फ कृष्णा उपरोक्त की जामा तलाशी से पहने पेन्ट की बाँयी जेब से 200 रूपये बरामद हुए व दाहिनी जेब से एक अदद मोबाइल रेडमी नोट 9 PRO जिसका IMEI न0 86318045856651-69 अंकित, बरामद हुआ। गाडी टिगोर की तलाशी ली गयी तो गाडी में पीछे डिग्गी में 02 पैकेट पोलिथीन मे गाँजा बरामद हुआ इन्हीं के पास दो नम्बर प्लेट नम्बर UP 81 DA 4730 की अंकित है जो डिग्गी में पायी गयी व ट्रक न० UP 84 T 4737 की कैबिन को चेक किया गया तो 05 पैकेट पोलिथीन गांजा बरामद हुआ। प्रत्येक पैकेट मे 05 कि0 ग्रा0 गांजा पाया गया इस प्रकार कुल 35 कि0 ग्रा0 गाँजा बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0 अ0 स0 0326/2025 धारा 8/20/25/29/60 (3) स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 थाना बिछवां मैनपुरी वनाम अभि०गण मोहित उर्फ मोनू पुत्र कुवरजीलाल निवासी टीचर कालोनी गली न0 4 चासनी थाना सासनी जिला हाथरस 2. टीकम सिंह उर्फ भोला नागर पुत्र मदनपाल सिंह निवासी डोरी नगर थाना गांधी पार्क जनपद अलीगढ 3. विनोद पुत्र महेन्द निवासी मुडिया खेरा थाना गंगीरी जिला अलीगढ 4. कन्हैया उर्फ कृष्णा पुत्र बाबूलाल निवासी नगरिया चैन थाना सासनी जिला हाथरस के विरूद्ध धारा 8/20/25/ 29/60 (3) NDPS ACT के अन्तर्गत आरोप पत्र संख्या 301/2025 दिनांक 14.11.2025 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। गैंगलीडर मोहित उर्फ मोनू पुत्र कुवरजीलाल निवासी टीचर कालोनी गली न0 4 सासनी थाना सासनी जिला हाथरस उम्र करीब 33 वर्ष सह अभियुक्त सदस्य 1. टीकम सिंह उर्फ भोला नागर पुत्र मदनपाल सिंह निवासी डोरी नगर थाना गांधी पार्क जनपद अलीगढ उम्र करीब 27 वर्ष 2. विनोद पुत्र महेन्द्र निवासी मुडिया खेरा थाना गंगीरी जिला अलीगढ उम्र करीब 48 वर्ष 3. कन्हैया उर्फ कृष्णा पुत्र बाबूलाल निवासी नगरिया चैन थाना सासनी जिला हाथरस उम्र करीब 38 वर्ष के साथ मिलकर मादक पदार्थों की तस्करी करने जैसे संगीन अपराध जनपदीय स्तर पर कारित कर अपने व अपने साथियों को आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ पहुंचाता है। गैंगलीडर मोहित उपरोक्त स्वयं व अपने गैंग के उपरोक्त

सदस्यों के साथ मिलकर मादक पदार्थों की तस्करी करने जैसे संगीन अपराध अन्तर्जनपदीय स्तर पर कारित कर अपने व अपने साथियों को आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ पहुँचाता है। गैंगलीडर मोहित उपरोक्त व गैंग के सदस्यों के समाज विरोधी गतिविधियों एवं आपराधिक कृत्यों के कारण आम जनमानस का जीवन खतरे में है। इनके भय दहशत एवं आतंक के कारण जनता का कोई व्यक्ति इनके विरूद्ध रिपोर्ट लिखाने व गवाही देने को तैयार नहीं होता है। इनका जनता में स्वच्छन्द रहना जनहित मे नहीं है। उक्त गिरोह द्वारा कारित अपराधिक कार्य उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 2(ख) (II) से आच्छादित है इस गैंग के क्रियाकलापों को नियंत्रित करने हेतु गैंग के विरुद्ध धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

3. जमानत प्रार्थना पत्र में आधार लिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है। प्रार्थी ने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा उपरोक्त केस में पुलिस द्वारा रंजिशन झूंठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष की कहानी पूरी तरह झूठी एवं मनगढन्त है। प्रार्थी को प्रथम सूचना रिपोर्ट में पूर्णतः गलत तथ्यों पर नामित किया गया है। गिरोहबंद अधिनियम में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार प्रार्थी गिरोहबंद बनने का आधार पर्याप्त नहीं है। गिरोहबंद अधिनियम के तहत संगठित गिरोह बनाकर अपराध किये जाने का कोई साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी को अपराध संख्या 326/2025 अन्तर्गत धारा 8/20/25/29/60(3)एन.डी.पी.एस एक्ट थाना बिछवां जिला मैनपुरी के एक मात्र केस के आधार पर उपरोक्त केस में पुलिस द्वारा नामित किया गया है जिसमें जमानत पर है जो कि गिरोहबंद अधिनियम के तहत पूर्णतः गलत है। प्रार्थी दौरान मुकदमा अपनी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। मुख्यतः इन्हीं आधारों पर दौरान मुकदमा प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित करने की याचना की गयी।

4. विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये कथन किया गया है कि प्रार्थी / अभियुक्त एक सुसंगठित गैंग का सदस्य है जिसका गैंगलीडर अभियुक्त मोहित उर्फ मोनू है जो अपने सदस्य कन्हैया उर्फ कृष्णा व अन्य के साथ मिलकर मादक पदार्थों की तस्करी करने जैसे संगीन अपराध अन्तर्जनपदीय स्तर पर कारित कर अपने व अपने साथियों को आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ पहुँचाता है। गैंगलीडर मोहित उर्फ मोनू अपने गैंग के सदस्य टीकम उर्फ भोला नागर व अन्य के समाज विरोधी गतिविधियों एवं आपराधिक कृत्यों के कारण आम जनमानस का जीवन खतरे में है। इनके भय दहशत एवं आतंक के कारण जनता का कोई व्यक्ति इनके विरूद्ध रिपोर्ट लिखाने व गवाही देने को तैयार नहीं होता है। इनका आम जनता में स्वच्छंद रहना हितकर नहीं है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की गयी।

5. जमानत प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभियोजन अधिकारी व विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैंगचार्ट के अनुसार प्रार्थी/ अभियुक्त कन्हैया उर्फ कृष्णा के विरुद्ध इस मुकदमे के अलावा अन्य 01 मुकदमा लंबित हैं। प्रार्थी/ अभियुक्त पर आरोप है कि वह एक सुसंगठित सक्रिय गिरोह का सदस्य है, जिसका गैंगलीडर अभियुक्त मोहित उर्फ मोनू है जो अपने साथी अभियुक्त कन्हैया उर्फ कृष्णा के साथ मिलकर मादक पदार्थों की तस्करी करने जैसे संगीन अपराध अन्तर्जनपदीय स्तर पर कारित कर अपने व अपने साथियों को आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ पहुँचाता है। गैंगलीडर मोहित उर्फ मोनू व गैंग के सदस्य कन्हैया उर्फ कृष्णा के समाज विरोधी गतिविधियों एवं आपराधिक कृत्यों के कारण आम जनमानस का जीवन खतरे में है। प्रार्थी /अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर अपराध गैंगचार्ट में दर्शित किया गया है । थाने की आख्यानुसार प्रार्थी/ अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मैनपुरी के अतिरिक्त जनपद अलीगढ में भी कई अभियोग पंजीकृत हैं एवं थाने की आख्या में यह भी कथन किया गया

है कि यदि प्रार्थी / अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह न्यायालय में नियत तिथि पर उपस्थित नहीं होगा, जिसके फरार होने की पूर्ण संभावना है। अतः न्यायालय की राय में गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। प्रार्थी/ अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त कन्हैया उर्फ कृष्णा की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 20/2026 अंतर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिछवां जिला मैनपुरी के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र तदानुसार निरस्त किया जाता है।

(स्वपनदीप सिंघल)UP2717
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर)/अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–05, मैनपुरी।

आशुलिपिकः– निपेन्द्र सिंह

SWAPAN DEEP SINGHAL

Digitally signed by SWAPAN DEEP SINGHAL
Date: 2026.06.16 13:34:30 +0530